


शासकीय लाल कालिन्द सिंह महाविद्यालय अंतागढ़



जिला- उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़



Website:- www.govtlkscollegeantagarh.ac.in

E-Mail:- glksdcollege_antagarh@yahoo.co.in

प्राचार्य की कलम से.....




अंतागढ़ छत्तीसगढ़ राज्य के बरतार अंचल में माँ शीतला एवं आमाबुन्दीन दाई की ममता के छाँव में स्थित प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण सुन्दर नगर है। यह कांकेर जिला मुख्यालय से 80 कि.मी. एवं नारायणपुर से 50 कि.मी. दूर दुर्ग- नारायणपुर राजमार्ग पर स्थित है। शासकीय लाल कालिन्द सिंह महाविद्यालय अंतागढ़ 10 जुलाई 2006 को अस्तित्व में आया, प्रारंभ में सामुदायिक भवन में कक्षाएं शुरू हुईं। महाविद्यालय भवन का लोकार्पण 13 अगस्त 2008 को हुआ। अस्तित्व काल से ही महाविद्यालय ने सीमित संसाधन में छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण एवं क्षेत्र के विकास हेतु महती भूमिका निभाई है।

यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि उच्च शिक्षा के लिए आपने हमारे महाविद्यालय का चयन किया है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास है, जिस हेतु अवसर प्रदान करना, संसाधन जुटाना, परिवेश निर्मित करने का दायित्व संस्था का है एवं इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं।

अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है, आप महाविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-खूद, एन.एस.एस. निबंध प्रतियोगिता, रंगोली, भाषण, लेखन आदि का हिस्सा बन अपना व्यक्तित्व निर्माण कर समाज, अंचल एवं देश के विकास में महती भूमिका निभा सकते हैं। महाविद्यालय परिवार आपके सकारात्मक कार्य हेतु प्रत्येक क्षण आपके साथ है।

उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ...


(दीपक कुमार देवागन)
प्रभारी प्राचार्य

महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक स्टाॅफ:-

क्र.	नाम	पदनाम	विषय	पदस्थापना तिथि
1	श्री दीपक कुमार देवांगन	सहा.प्राध्यापक	सूक्ष्मजीव विज्ञान	05.01.2013
2	श्री भूषण कुमार देवांगन	सहा.प्राध्यापक	हिन्दी	07.01.2022
3	श्री बहादुर नेताम	सहा.प्राध्यापक	वाणिज्य	24.01.2022
4	श्री प्रशांत कुमार रंगारी	सहा.प्राध्यापक	अर्थशास्त्र	08.02.2022
5	श्री रोशन कुमार केमरो	सहा.प्राध्यापक	राजनीति विज्ञान	09.02.2022
6	श्री प्रशांत कुमार पटेल	अतिथि व्याख्याता	वाणिज्य	20.10.2021
7	श्री नीरज कुमार वाल्दे	अतिथि व्याख्याता	वनस्पति शास्त्र	25.10.2021
8	श्री मयंक कुमार मिश्रा	अतिथि व्याख्याता	भूगोल	26.10.2021
9	श्रीमती प्रीति देशमुख	अतिथि व्याख्याता	प्राणी शास्त्र	20.10.2021
10	श्रीमती सरिता शुक्ला	अतिथि व्याख्याता	अंग्रेजी	26.10.2021

महाविद्यालय में कार्यरत अशैक्षणिक स्टाॅफ:-

क्र.	नाम	पदनाम	पदस्थापना तिथि
1	श्री इसरोन किन्डों	सहा.ग्रेड-01	22.08.1994
2	श्री महेन्द्र कुमार चौबे	प्रयोगशाला तकनीशियन	07.05.2010
3	श्री कैलाश चंद्र सोम	प्रयोगशाला तकनीशियन	13.05.2010
4	श्री रविशंकर नेताम	मृत्य	12.08.2009
5	श्री दशरू नाग	मृत्य	19.08.2010
6	श्री टेकेश्वर जैन	कम्प्युटर ऑपरेटर (जनमागीदारी)	01.01.2021

शासकीय लाल कालिन्द सिंह महाविद्यालय की स्थापना सन् 2006 में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के साथ हुई। इस महाविद्यालय का परिसर..... एकड में फैला हुआ है। महाविद्यालय में आधुनिक विषय पाठ्यक्रमों की आवश्यकता के अनुरूप विषय संचालित है:-

महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

क्र.	उपाधि	विषय	न्यूनतम योग्यता
1.	B.A	1. राजनीति विज्ञान 1. भूगोल 2. हिन्दी साहित्य 3. अर्थशास्त्र 4. आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा)	12 वीं पास
2.	B.Sc.	1. रसायन शास्त्र 1. वनस्पति शास्त्र 2. जन्तु विज्ञान 3. सूक्ष्म जीव विज्ञान 4. आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा)	12 वीं पास
3.	B.Com.	सभी अनिवार्य विषय	12 वीं पास

महाविद्यालय के संसाधन

- ग्रंथालय:- महाविद्यालय में 10,000 हजार पुस्तको की ग्रंथालय की व्यवस्था है। यहाँ विद्यार्थियों को उनके विषय संबंधित पुस्तकें प्रदान की जाती है।
 - प्रयोगशाला:- महाविद्यालय में निम्नलिखित विषय हेतु प्रयोगशालाएँ उपलब्ध है- रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं भूगोल
 - वाई - फाई कैंपस:- महाविद्यालयीन स्टॉफ एवं छात्र/छात्राओं के लिए वाई - फाई इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है।
 - छात्र - छात्राओं के लिए छात्रावास सुविधाएँ:- सुदूर ग्रामीण अंचल से आने वाले छात्र/छात्राओं के लिए पोस्ट मेट्रिक बालक एवं बालिका छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है।
 - स्मार्ट क्लास रूम:- महाविद्यालय में 02 स्मार्ट क्लास रूम की सुविधा उपलब्ध है।
 - केन्टीन सुविधा:- महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए न्यूनतम दर पर केन्टीन की सुविधा उपलब्ध है।
 - पार्किंग सुविधा:- महाविद्यालय में निःशुल्क साइकिल एवं वाहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है।
- पाठ्यक्रमेत्तर सुविधा
- राष्ट्रीय सेवा योजना:- महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए एन.एस.एस इकाई संचालित है। जिसमें प्रतिवर्ष 100 स्वयं सेवक पंजीकृत होते है।
 - रेड क्रॉस:- महाविद्यालय में रेड क्रॉस समिति गठित है।

3. शुल्क संरचना:-

शासकीय शुल्क				
क्र.	विवरण	कक्षा	छात्र	छात्रा
1	शिक्षण शुल्क	B.Sc,B.A, B.Com	115	माफ
2	प्रवेश शुल्क	B.Sc,B.A, B.Com	2	2
3	स्टेशनरी	B.Sc,B.A, B.Com	3	3
3	प्रायोगिक शुल्क	B.Sc,B.A,	20	20
योग:-			140	25
अशासकीय शुल्क				
क्र.	कक्षा		छात्र/ छात्राएं	
1	B.Sc- I B.A.- I, B.Com.-I		398	
2	B.Sc- II, B.A.- II, B.Com.-II		278	
3	B.Sc- III, B.A.- III, B.Com.-III		278	
4	B.Sc- I B.A.- I, B.Com.-I नियमित छात्र/छात्राएं कॉसनमनी		60	
5	नया प्रवेश नियमित छात्र/छात्राएं B.A, B.Sc, BCom, II,III		60	
6	अमहाविद्यालयीन से छात्र/छात्राएं कॉसनमनी		100	
योग:-			1174	
जनभागीदारी शुल्क				
1.	सभी कक्षाओं के लिए		300	

छात्रवृत्तियाँ:- महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को निम्नलिखित छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं:-

क्र.	छात्रवृत्ति	कक्षा	पात्रता
1	पोस्ट मैट्रिक	B.Sc,B.A, B.Com	ST/SC/OBC
2	बी.पी.एल कल्याण	B.Sc,B.A, B.Com	बी.पी.एल कार्ड धारी
3	लघु वनोपज	B.Sc,B.A, B.Com	लघु वनोपज कार्ड
4	एनमडीसी छात्रवृत्ति	B.Sc,B.A, B.Com	ST/SC
5	केंद्रीय छात्रवृत्ति	B.Sc,B.A, B.Com	12 वीं 80 प्रतिशत से ज्यादा
6	अल्प संख्यक	B.Sc,B.A, B.Com	मुस्लिम, सिक्ख, इसाई पारसी, जैन
7	दिव्यांग छात्रवृत्ति	B.Sc,B.A, B.Com	दिव्यांग

प्रवेश संबंधी सूचनाएँ

- प्रवेश अर्हताकारी परीक्षा परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद प्रारंभ किये जायेंगे।
- स्थानीय आवेदकों को अपना आवेदन स्वयं जमा करना होगा तथा किसी भी प्रकार के डाक द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- आवेदकों को प्रवेश की सूचना व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जावेगी प्रवेश हेतु चयनित आवेदकों के नाम सूचना पटल पर चस्पा किये जायेंगे।
- महाविद्यालय में प्रवेश के लिए चयन होने के बाद ही शुल्क स्वीकार किये जायेंगे।
- यदि प्रथम सूची में स्थान प्राप्त आवेदकों ने प्रवेश नहीं लिया तो प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

ध्यान देने योग्य बातें

- किसी भी स्थिति में एक बार जमा किया गया प्रवेश शुल्क वापस नहीं लौटाया जाएगा।
- प्राचार्य की अनुमति होने से प्रवेश के लगभग 1 महीने तक संकाय परिवर्तन की अनुमति होगी, इसके पश्चात संकाय (विषय) परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र:-

- अर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची की छायाप्रति।
- स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (मूल और एक छायाप्रति)।
- चरित्र प्रमाण पत्र मूल प्रति।
- जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- दो पासपोर्ट साइज फोटो।
- खेलकूद, एन.एस.एस. एन.सी.सी. इत्यादि से संबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- गैप प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो तो)।
- पात्रता प्रमाण (आवश्यक होने पर)।
- प्रवचन (माइग्रेशन) प्रमाण पत्र मूल प्रति (यदि आवश्यक हो)।
- रैगिंग के विरुद्ध वचन पत्र (प्रवेश के समय दिये गये निर्धारित प्रारूप में)।

महत्वपूर्ण नियम:-

निम्नलिखित में से किसी एक या अनेक कारणों से विद्यार्थी को महाविद्यालय से पृथक करने का अधिकार प्राचार्य को है:-

1. प्राचार्य के मतानुसार किसी विद्यार्थी की उपस्थिति संतोषप्रद न होने पर।
2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय ऑरडिनेंस 1973 धारा 7 के अनुसार विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
3. कक्षा में संतोषजनक प्रगति न होने पर।
4. प्राचार्य को यह अधिकार है कि बिना कारण बताए किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर दे और इस विषय में कानूनी कार्यवाही का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं होगा।
5. विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन में यदि कोई तथ्य छिपाई जाये अथवा गलत ढंग से प्रस्तुत की जाती है तो विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
6. छात्र-छात्राएं महाविद्यालय में अथवा महाविद्यालय के बाहर अनुशासन का उल्लंघन करते पाये जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है।

आचरण संहिता:-

1. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान महाविद्यालयीन व्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन पर लगायेंगे तथा कार्यक्रमों में अपना पूर्ण सहयोग देंगे।
2. महाविद्यालय की संपत्ति, भवन, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था, सुरक्षा और स्वच्छता में प्रत्येक विद्यार्थी रूचि लेगे और उन्हें बनाये रखने में सहयोग प्रदान करेंगे।
3. महाविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में समस्त छात्र/छात्राओं को सम्मिलित होना अनिवार्य है।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने साथियों और शिक्षकों से शिष्टाचार का पालन करेंगे और कमी भी अशिष्ट या अशोभनीय व्यवहार नहीं करेंगे।
5. यदि किसी छात्र/छात्रा को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो अपने प्राध्यापकों अथवा प्राचार्य को शांतिपूर्वक तरीके से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
6. परीक्षाओं में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर या प्रयत्न करने पर उसे गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

रैगिंग दण्डनीय अपराध (UGC) के नियमाली 2009 की कंडिका 7 एवं 9.1)

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार रैगिंग दण्डनीय अपराध है, पूर्व में रैगिंग में लिप्त विद्यार्थियों को किसी भी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

अतः विद्यार्थी निम्न बिन्दुओं को ध्यान रखे:-

1. किसी विद्यार्थी के विरुद्ध रैगिंग की शिकायत मिलने पर उसके विरुद्ध तत्काल एफ.आई.आर दर्ज करवाई जाएगी।
2. निलंबन की कार्यवाही।
3. विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना।
4. रैगिंग के आरोपी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा।

महाविद्यालय में सक्रिय समिति/प्रकोष्ठ:-

1. आंतरिक गुणवत्ता एवं आश्वासन प्रकोष्ठ।
2. जन भागीदारी समिति।
3. एण्टी रैगिंग समिति एवं अनुशासन समिति।
4. पालक शिक्षक संघ।
5. भूतपूर्व विद्यार्थी मंच
6. रेड क्रॉस समिति।
7. महिला उत्पीड़न निरोधी समिति।
8. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ।
9. अनुसूचित जाति, जनजाति प्रकोष्ठ।
10. महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ।
11. तृतीय लिंग भेदभाव विरोधी प्रकोष्ठ।
12. प्लेसमेंट एवं गाईडेन्स प्रकोष्ठ।
13. समान अवसर प्रकोष्ठ।